

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

श्री कच्छ पत्रावट टिपोट ज. वि. विपक्षी जमरापेट राज्य राज्य
 क्रम मुकदमा एड, 188 रा एके पत्रावली संख्या ७७१/२५ सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

12/11/25
 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।
 प्रति./विपक्षी/रेस्पों. को जरिये सम्मन/
 नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली एवं
 तलबी दि. ०९/१२/२५ को पेश हो।


 सहायक कलक्टर
 (SDO) मावली

११/१२/२५
 पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी उप.
 प्र.सं. १,८ को जरिये सूचना सम्मन एडी प्रदा
 हुई। अधिवक्ता वादी वारिस कामी कावे।
 प्रतिवादी संख्या १ के सम्मन अद्य तामील प्राप्त
 हुए। प्र.सं. १ पेज करे। प्र.सं. १ का के सम्मन बाद
 तामील प्राप्त। प्र.सं. २ का के सम्मन एडी
 अद्य प्राप्त। कर्ट पार रहे। पत्रावली वास्त
 वारिस कामी न. १,८ / तलबी न. २ का दि. १३
२७/११/२६ को पेश हो।



२७/११/२६
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप वा. कामी न. १,८ / तलबी न. २ का
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः एके
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. २३/१२/२६
 को पेश हो।


 (SDO) मावली

23/2/26

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप व. कायम/न. 18/ तलवा
के लिये मौका चाहते है। अतः इति
अवसर दिना जाकर पत्रावली दि 23/4/26
को पेश हो।

(SDO) मातली

23/4/26

वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप व. कायम/न. 18/ तलवा
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः अतः अतः अतः
अवसर दिना जाकर पत्रावली दि 24/4/26
को पेश हो।

(SDO) मातली

24/4/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई
गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं।
स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का
वाह अदम राजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर
नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मातली